सं0-594/xxv111-5-2006-90/2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
चमोली ।

चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक : 17 अगस्त,2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनपद चमोली में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण के पत्र सं0-7प/1/एस0ए0डी0/21/2006/22569 दिनांक 22.07.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनपद चमोली में तीन स्थानों पर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयो के भवनों के निर्माण हेतु आगणनों की आंकलित संलग्नकानुसार कुल रू0 96,21,000.00(रू0 छियानबे लाख इक्कीस हजार मात्र) के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 78,45,000.00 (रू0 अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में उक्त भवनों के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 78,45,000.00(रू0 अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

3- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

4- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, चमोली तथा परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ।

6- आगणन में उल्लिखित दरों कर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा

से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा तद्परान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

7- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

8- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाये ।

9- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।आवश्यक होगा ।

10- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।

11- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

12- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

13- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गयाहै

14- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

15- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

16- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडें ।

17- जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा सयम से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

18- मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या-2047 XIV-219(2006)दिनांक 30मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें ।

19- उक्त व्यय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय 91-जिला योजना 9101-राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण -आयोजनागत- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

20- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-608/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2005 दिनांक 17.8.2006 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,
(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-594(1)/XXVIII-5-2006-90/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- आयुक्त गढ़वाल/ कुमाऊं मण्डल, उत्तरांचल ।
3- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल ।
4- जिलाधिकारी, चमोली ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून ।
6- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तरांचल ।
7- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल ।
8- कोषाधिकारी, चमोली ।
9- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
10- परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं विकास निगम, देहरादून ।
11- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, चमोली ।
12- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून ।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी0।
14- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

शासनादेश संख्या-594/XXVIII-5-2006-90/2006 दिनांक 18.8.2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	आगणन की आंकलित धनराशि	परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत	वर्ष 2006-07 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	रा0एलो0चिकित्सालय मण्डल	आर0ई0 एस0	2607	21.15	21.15
2	रा0एलो0चिकित्सालय ललूड़ी बुंग्रा	पे0ज0नि0	31.28	25.30	25.30
3	रा0एलो0चिकित्सालय झेलम	पे0ज0नि0	38.86	32.00	32.00
	योग-		96.21	78.45	78.45

(रू0 अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव